State Council of Educational Research & Training Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website **www.scert.cg.gov.in** Email· scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक–शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30–1/प्रवेश/2025–26 3937 रायपुर दिनांक 01.12.2025

डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम 2025–26
तीसरे चरण के आबंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए सूचना

छत्तीसगढ राज्य के शासकीय/निजी शिक्षा महाविद्यालयो/संस्थाओं में संचालित डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड पाठ्यक्रम सत्र 2025–26 मे प्रवेश प्रक्रिया परिषद् द्वारा प्री डी.एल.एड./ बी. एड प्री.परीक्षा 2025 के प्राप्ताक के आधार पर तथा बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. में अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तीन चरण में किया गया है। तीसरे चरण में तीन सूची जारी करने पश्चात् राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में रिक्त सीटो के विरूद्ध अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार जारी किया जा रहा है :–

क्र.	विवरण चरणवार	दिनांक से दिनांक तक
1	तीसरे चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर चौथी सूची जारी करना	02.12 2025
2	महाविद्यालय में प्रवेश	03.12.2025 को शाम 5 बजे तक
3	महाविद्यालय में प्रवेश पॉचवी सूची जारी करना	04 12.2025
4	महाविद्यालय में प्रवेश	05.12 2025 को शाम 5 बजे तक
5	महाविद्यालय में प्रवेश छठवी सूची जारी करना	08.12 2025 को
6	महाविद्यालय मे प्रवेश	09.12.2025 को शाम 5 बजे तक

अन्य निर्देश निम्ननुसार है :–

1. इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने तीसरे चरणों में विकल्प फार्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक जारी तीनों सूची मे महाविद्यालय आबंटित नही हुआ है उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें तीसरे चरण के सूचियों में महाविद्यालय आबंटित हुई थी परन्तु उन्होंने प्रवेश नही लिया व चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात् महाविद्यालय आबंटित नही हुआ है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जायेगा।
2. किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आबंटन प्रक्रिया में नही आयेगा। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के तीसरी सूची में आया था परन्तु उन्होंने प्रवेश नही लिया एवं आबंटन निरस्त नही कराया है उनके नाम आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. जिन अभ्यर्थियों का नाम इस तीसरे एवं चौथी सूची में आयेगा उन्हे आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
4. उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट होवें कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन Active है उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा।
5. शेष नियम शर्तें पूर्ववत ही रहेंगे।

स्पष्ट है कि चरण में कोई भी विकल्प फार्म नही भरवाये जायेगे। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटित होगा उन्हें निर्धारित तिथि को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।

(जे.पी.रथ)
अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक–शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30–1/प्रवेश/2025–26/3930 रायपुर दिनांक .01..12-2025
प्रतिलिपि –

1. सचिव, छ.ग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. कुलसचिव, ... विश्वविद्यालय .... को सूचनार्थ।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को सूचनार्थ।
4. NICS नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. सर्व सूचनार्थ।

अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर